



प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,

उOप्रO लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक- 12-10-2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में केOजीOएमOयूO, लखनऊ के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में रैम्प का निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8961/योजना अनुO/2026, दिनांक 01.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसक द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में केOजीOएमOयूO, लखनऊ के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में रैम्प का निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केOजीOएमOयूO, लखनऊ के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में रैम्प का निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में केOजीOएमOयूO के 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि से रूO 200.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए परियोजना की सम्पूर्ण धनराशि रूO 200.77 लाख (अनुदान संख्या-31 से रूO 158.60 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रूO 42.17 लाख) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. आगणन में प्राविधानित मदों को यथावत मानते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इन कार्यों हेतु प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दरें प्राप्त कर निर्माण कार्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।
2. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जीOएसOटीO की धनराशि का प्रावधान किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जीOएसOटीO सम्मिलित न हो।
3. आगणन में 10 प्रतिशत सेन्टेज का प्रावधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
4. आगणन में लेबर सेस नियमानुसार देय होगा।
5. कार्यों में प्रयुक्त डिजाइन, सामग्री आदि हेतु कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
6. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कुलसचिव, केOजीOएमOयूO /कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विगति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 9. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
 10. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
 11. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
 12. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।
 13. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।
 14. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/ महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
 15. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्था के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
 16. धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,58,60,000 (रुपये एक करोड़ अठ्ठावन लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 42,17,000 (रुपये बयालीस लाख सत्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037893100 के0जी0एम0यू0, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
7. प्रबन्धक निदेशक, सी०एण्ड डी०एस।
8. वित्त अधिकारी, के०जी०एम०यू० लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।